

(भारत के राजपत्र के भाग I, खंड II में प्रकाशनार्थ)

संख्या - 13017/44/2011 - अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक,

दिनांक 6-3-2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम, मेघालय एवं राजस्थान की सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री इंद्रजीत सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम-मेघालय : 10) का, सुश्री नेहा गिरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान : 10) के साथ विवाह होने के आधार पर असम-मेघालय संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में स्थानांतरण करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, हरियाणा।